7

पंचवर्षीय योजनाओं में समाज सेवा और समाज कल्याण कार्यक्रम

* वेदांशु त्रिपाठी

प्रस्तावना

भारत में, समाज कल्याण के क्षेत्र में राज्य की सहभागिता का सैकड़ों वर्षों का लम्बा एवं निरन्तर इतिहास है। वैदिक काल से ही भारत में एक दरिद्र व्यक्ति को आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त करने के अधिकार की स्वीकृति है। यह राज्य अथवा समुदाय के लिए इस मान्यता पर आधारित है कि अपने कम भाग्यशाली सदस्यों को सहायता देना इनका कर्तव्य है।

1947 में स्वतंत्र होने पर इस देश ने गहन विकास की प्रक्रिया के युग का प्रारम्भ देखा। आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। ये आवश्यकताएँ बहुतायत में तथा विभिन्न प्रकार की होती हैं, कुछ गन्दगी, अन्ध विश्वास, खराब स्वास्थय एवं खराब आवास आदि जैसी आवश्यकताओं को अपने संसाधनों एवं बुद्धि वैभव से जल्दी से जल्दी अपने बीच से हटाना है।

समाज कल्याण में प्रवृत्तियाँ

सामान्य रूप से अब इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि किसी देश के विकास में समाज कल्याण कार्यक्रम भूमिका निभाते हैं। "समाज कल्याण सेवाएँ" शब्द व्यक्ति अथवा समूहों की विशेष आवश्यकताओं को आच्छादित करने वाली सेवाओं का बोध कराता है जिनका लाभ व्यक्ति अथवा समूह किसी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक बाधाओं के कारण प्राप्त नहीं कर पाते हैं अथवा समुदाय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं उन्हें पारम्परिक रूप से नहीं मिल पाती हैं। इस अर्थ में कल्याण सेवाएँ जनसंख्या के कमजोर, आश्रित अथवा सुविधा–विहीन वर्गों के लिए होती हैं। इन सेवाओं के लाभार्थी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जैसे कि नेत्रहीन, बधिर, अथवा पंगु, सामाजिक रूप से आश्रित व्यक्ति जैसे अनाथ, विधवा निराश्रित, मानसिक रूप से मन्दबुद्धि

* वेदांशु त्रिपाठी, जे.एन.यू., नई दिल्ली

वाले व्यक्ति, आर्थिक रूप से सुविधा विहीन समूह जैसे मलिन बस्तियों में रहने वाले एवं बाधित सामाजिक प्रथा अथवा अभ्यासों द्वारा बाधित महिलाएँ हो सकते हैं। समाज कल्याण सेवाओं में वे भी विशेष सुविधएँ आती हैं जो कि जन–स्वास्थ्य, शिक्षा एवं चिकित्सकीय लाभ के क्षेत्रों में दी जा रही सामान्य सेवाओं का अंग नहीं है। युवाओं अथवा बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त सेवाएँ इनका उदाहरण हैं। इन समाज कल्याण योजनाओं का उद्देश्य जनसंख्या के ऐसे वर्गों की खुशहाली एवं भलाई में अभिवृद्धि करना है जो कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के विशेष संरक्षण में आते हैं। ये सेवाएँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कोई भी राष्ट्रीय विकास योजना सामाजिक सेवाओं एवं विशेष रूप से समाज कल्याण की अनदेखी नहीं कर सकती है। सामान्य रूप से यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विशेषीकृत समाज कल्याण सेवाओं द्वारा जनसंख्या के कमजोर एवं अधिक दबे हुए वर्गों की विशेष देखभाल की जाए। केवल यही उन्हें इस योग्य बनाएगा कि पहले वे सामान्य सामाजिक सेवाओं के लाभों को आत्मसात करें तथा इसके पश्चात् आर्थिक विकास की सुविधाओं में अन्य सभी के साथ भागीदार बन सकें।

एक विस्तृत समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक विधान, महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, परिवार कल्याण, युवा कल्याण, शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता, परिवार कल्याण, युवाकल्याण, शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता, अपराध एवं सुधारात्मक प्रशासन तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सम्मिलित होते हैं। भारतवर्ष की विशेष परिस्थितियों तथा पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में मद्यनिषेध के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित हैं।

असमानता और भागीदारी

किसी भी समाज में, कुछ व्यक्तियों द्वारा, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं, अधिकतम प्रकार के अवसरों का लाभ लिया जाता है। समाज के आर–पार विस्तृत रूप से स्वतंत्रता को फैलाने वाली सुविधा युक्त एवं सुविधाविहीन के मध्य विभाजन का प्रतिकार करना आता है।

सहभागिता समानता की माँगों के साथ अन्तरंग रूप से सम्बद्ध होती है अत्यन्त निकट स्तर पर, वोट देने, प्रचार करने एवं आलोचना करने के आधारभूत राजनीतिक अधिकारों की भागीदारी एवं समरूपता प्रजातान्त्रिक सहभागिता की आवश्यकता है। राजनीतिक आन्दोलनों तथा सार्वजनिक क्रिया में वास्तविक सहभागिता सरकारों की कार्यसूची एवं इसकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने में प्रमुख अन्तर सामने ला सकती है।

प्राथमिक एवं मूलभूत समागम के परे जाकर एक दूसरा महत्वपूर्ण कारणात्मक सम्बद्धता है कि राजनीतिक सहभागिता अधिक प्रभावपूर्ण एवं समान रूप से अधिक आनन्दायक हो सकती है यदि आर्थिक संसाधनों में भी भागीदारी करने में कुछ समानता है। वास्तव में, आर्थिक संसाधनों में भी भागीदारी करने में कुछ समानता है। वास्तव में, आर्थिक असमानता के कारण प्रजातंत्र की गुणवत्ता से गम्भीर रूप से समझौता करना पड़ता है। आर्थिक सुविधा से सम्बद्ध शक्ति की असमानताओं को प्रभावहीन बनाना अपने पूर्ण अर्थ में प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है।

सामाजिक असमानताएँ भी राजनीतिक भागीदारी की समानता में गम्भीर रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। जाति, लिंग एवं शिक्षा से भी सम्बन्धित शक्ति एवं प्रभाव का विभाजन कई परिस्थितियों में, सामाजिक शक्ति एवं प्रभाव का विजान, कई परिस्थितियों में, सामाजिक रूप से सुविधाविहीन व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से हाशिये पर ला देते हैं। यहाँ पर पुनः यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सहभागिता पर असमानता के कुप्रभावों की पहचान की जाए तथा सामाजिक सुविधा तथा राजनैतिक शक्ति के मध्य समागम को प्रभावहीन करके तथा अधिक से अधिक समाजिक समानता में अभिवृद्धि करके इससे निपटने की संभावना को सामने लाया जाए।

भारत में असमानता एवं भागीदारी से सम्बन्धित मुद्दे विशेषरूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विभाजन (भेद–भाव के अन्य स्रोतों के मध्य वर्ग, जाति एवं लिंग पर आधारित) व्यापक रूप से पाये जाते हैं तथा इन विभाजनों का आर्थिक विकास एवं सामाजिक अवसरों दोनों को अत्यधिक हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति रही है। भारतवर्ष में सामाजिक भेद–भाव यदि अपरिवर्तनीय नहीं है तो भी सदैव अत्यन्त कठोर रहे हैं। वास्तव में, आजकल विद्यमान आसमानताओं से निपटने के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं इस दशक में कुछ सीमा तक परिवर्तन हेतु क्षमता का पहले ही प्रदर्शन हो चुका है (जिसका अर्थ है 'पिछड़ी' जातियों को शोषण से मुक्त करने हेतु सामाजिक आन्दोलनों, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि एवं गांव स्तर पर शक्ति संरचना में न्यायपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनों के माध्यम से)। भारतवर्ष में विकास एवं प्रजातंत्र के भविष्य सम्बन्धी क्रियाकलाप इन परिक्षेत्रों संभावनाओं को क्रियान्वित करने पर निर्भर होंगे।

विकास, स्वतन्त्रता और अवसर

विकास के आधारभूत उद्देश्य के स्वरूप में आधुनिक विकास सम्बन्धी साहित्य में व्यक्ति की क्षमताओं के प्रसार को कभी अनदेखा नहीं किया गया, फिर भी सफल राष्ट्रीय उत्पाद एवं

संबंधित चरों के अर्थ में आर्थिक प्रगति के जनन पर मुख्यरूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। आर्थिक प्रगति द्वारा मानव क्षमताओं के प्रसार को स्पष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है (यद्यपि प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि के सीमित अर्थ में), लेकिन (1) इस दिशा में कार्यरत आर्थिक अभिवृद्धि के अतिरिक्त अन्य प्रभाव बहुतायत में विद्यमान हैं तथा (2) मानव क्षमताओं पर आर्थिक अभिवृद्धि का प्रभाव कितना अस्थिर हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर होगा कि इस अभिवृद्धि की प्रकृति क्या है?

इन सब में यह महत्वपूर्ण है कि इस बात की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए कि एक नागरिक की क्षमताओं के प्रसार पर अन्तिम रूप से विभिन्न नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है (चाहे वास्तविक आय की अभिवृद्धि द्वारा आया हो अथवा नहीं)। इसका आर्थिक नीतियों के वास्तविक आय में अभिवृद्धि के एक गुण के रूप में जाँच के अधिक मानक अभ्यास से तीक्ष्णता से विभेद है उस अभ्यास के विवादित होने को मानव क्षताओं जैसे आधारभूत उद्देशयों को बढ़ाने में आर्थिक अभिवृद्धि की महत्वपूर्ण सहायक भूमिका की अनदेखी करने के लिए एक आमन्त्रण के रूप में नहीं देख जाना चाहिए, यह मुख्यरूप से अपने लक्ष्यों एवं अपने साधनों के विषय में स्पष्ट होने का विषय है।

प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना तक योजना व्यवस्थाएँ एवं समाज कल्याण

नियोजन किसी विशेष अवधि के लिए कुछ विशेषीकृत विकासात्मक लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु क्रिया करने के लिए कार्यक्रम निर्माण है। बीसवी सदी की खोजों में सब से महत्वपूर्ण खोज सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन है।

वर्तमान समय में जबकि बजारू शक्तियों एवं उदारीकरण परबल प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर है, अतः आर्थिक नियोजन की बात करना समय के अनुसार भ्रमपूर्ण लगता है, परन्तु अधिकतर विकासशील देशों में आर्थिक विकास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना पायी जाती है कि उदारीकरण एवं नियोजन का सहअस्तित्व लम्बी अवधि तक कायम रहे। इसके अतिरिक्त, जैसे–जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वैसे–वैसे आर्थिक नियोजन की प्रकृति में संभावित रूपान्तरण महसूस किए जाते हैं।

भारत सरकार के योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को हुई तथा पहली अप्रैल, 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई।

भारतीय नियोजन, चार दशकों से अधिक समय से अपने प्रारम्भिक काल से ही बहुआयामी विकास के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहा है।

1) राष्ट्रीय आय में वृद्धि को सुनिश्चित करना।

2) राष्ट्रीय आय में वास्तविक विनियोग के अनुपात को बढ़ाने हेतु विनियोग की योजनाबद्ध दर को बढ़ाना।

3) आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना तथा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को नियमित करना।

4) मानवशक्ति के अधिकतम उपयोग के लिए सेवायोजन की मात्रा में अभिवृद्धि करना।

5) कृषि, औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा तथा अन्तर्खण्ड क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति का प्रयास करना।

6) सापेक्ष रूप से पिछड़े क्षेत्र के विकास में गति लाना तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाना।

7) गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों में प्रगतिशील ढंग से भोजन कार्य एवं उत्पादकता द्वारा गरीबी की मात्रा को कम करना।

8) उत्पादन की खण्ड क्षेत्रीय बनावट, क्रियाकलाप के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी में उन्नति एवं संस्थागत नवीन प्रवर्तनों के प्रभावशाली प्रबन्धों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना।

यद्यपि उपरिलिखित सभी उद्देश्य, एक रूप में अथवा दूसरे रूप में, स्पष्ट रूप से अथवा मूकभाव में, योजनाओं के सभी आलेखों में रखे गए हैं किन्तु उन पर दिए गए सापेक्ष बल में परिवर्तन होता रहा है।

महिलाओं के विकास, बाल विकास पोषण स्तर एवं अन्य कल्याण कार्यक्रमों जैसे चार खण्डों के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रावधानों को प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना तक प्रस्तुत किया जाएगा।

महिला विकास

भारतीय नियोजन के प्रारंभिक समय में महिलाओं के विकास संबंधी मुद्दो पर कम ध्यान दिया गया। परन्तु कुछ महत्वपुर्ण शुरूआत उस समय भी की गई। इस दिशा में मुख्य पहल 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण परिषद् की स्थापना से हुई जो कि महिला कल्याण, बालकल्याण एवं बाधितों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने एवं इनकों बढ़ाने से संबंधित थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना से महिला मण्डलों को पोषित एवं पल्लवित किया जाय। महिलाओं की अभिरूचियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कुछ विधायी उपाय भी किए गए, उदाहरण स्वरूप महिलाओं समन्वय किया गया। 1974 में में अंगीकृत बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति ने बच्चों के लिए सेवाओं के विकास हेतु खाका तैयार किया। 1975 में प्रयोगिक रूप से देश के 33 विकास खण्डों में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, (आई०सी०डी०एस०) चलाई गई जिनमें संयुक्त रूप से टीकाकरण, स्वास्थ परीक्षण, सन्दर्भ सेवा, पूरक पोषणा घर, पूर्व–विद्यालयं शिक्षा एवं पोषण आहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित हैं। विद्यालय स्वास्थय कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ सेवाओं को सबल बनाया गया।

छठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व चलाए गए कार्यक्रमों को संगठित एवं विकसित किया गया। आइ.सी.डी.एस की 1037 परियोजनाओं को स्वीकृति के साथ विस्तारिक किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के कार्यक्रम को बढ़ाया गया। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में अभिवृद्धि की गई। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने के कार्यक्रर्म को प्राथमिकता दी गई। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराकर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में पूर्व–विद्यालयी शिक्षा केन्द्रों को सहायता दी गई।

सांतवी पंचवर्षी योजना विभिन्न खण्ड क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारम्भिक बाल उत्तरजीविता एवं विकास को बढ़ाने की कार्यनीति जारी रही। इनमें प्रमुख कार्यक्रम थे– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.), सार्वभौमिक टीकाकरण, मातृत्व एवं बाल संरक्षण सेवाएँ, पोषणाहर पूर्व– विद्यालय शिक्षा, संक्षिप्त पेय जल, वातावरणीय सफाई एवं सवास्थ्य तथा परिवार नियोजन।

मानव विकास आठवीं पंचवर्षी योजना का मुख्य केन्द्र था अतः बाल उत्तराजीविता एवं विकास के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। यद्यपि यह सत्य है कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन, वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं में सुधार, स ास्थागत परिवर्तनों तथा महिला शिक्षा ने समाज के सुविधा वंचित

वर्गों के जीवन स्तर में सहायता की है तथा बाल उत्तरजीविता तथा विकास पेर सकारात्मक प्रभाव डाला है। फिर भी बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आश्यकता को महसूस किया गया।

आठवीं पचवर्षीय सोजना के दौरान बाल विकास कार्यक्रमों में निरोधात्मक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई। परिवार एवं समुदाय आधारति होने के कारण शिशु एवं प्रारम्भिक बाल मृत्यु एवं अस्वस्थता की उच्च दर को प्रभावपूर्ण रूप से कम करने में सक्षम हैं। जिन राज्यों में बाल मृत्यु एवं अस्वस्थता अधिक थी उन पर विशेष धयान दिया गया। आधारभूत न्यूनतम बालविकास सेवाओं के द्वारा जनसंख्या के सुविधा वंचित एवं गरीब वर्गों के बच्चों काक साम्मिलित किया गया। सेवाओं के एकीकरण तथा समरूपता पर बल दिया गया।

पोषाहार

आर्थिक विकास पर्याप्त भोजन तथा इसका प्रभावपूर्ण वितरण, गरीबी का स्तर, महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि की दर एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, पर्यावरणीय सफाई, सफ़ाई स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं जैसे अन्य सूचकों के साथ राष्ट्र की पोषाहारीय स्थिति घनिष्ट रूप से संबंधित है। अतः पोषाहारीय एवं अन्य संबंधित बीमारियों की समस्या से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक योजनाओं में, कुपोषण को मुख्य रूप से एक गरीबी की समस्या के रूप में देखा गया था जिसके कारण बहुसंख्यक रूप से गरीब व्यक्ति एक संतुलित आहार नहीं ले सकते। स्वास्थ्य एवं पोषाहार के विषय में जानकारी का आभाव तथा पोषाहार से संबंधित कमियों के कारण जल्दी–जल्दी होने वाले संक्रमणों की पहचान संबंधित तथा उत्तेजक कारकों के रूप में की गई। इसलिए, क्रयशक्ति को बढ़ाने के महत्व, अनाजों, दालों, दूध, अण्डे एवं हरी सब्जियों तथा इनके उपभोग पर ध्यान दिया गया। बच्चों तथा धात्री एवं गर्भवती माताओं के जोखिम करने के लिए वर्षों से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को प्रसारित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूरक भोजन कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम. एन.पी.) के अन्तर्गत लाया गया। पूरक भोजन कार्यक्रम को भी एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) का अंग बनाया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए धन आबंटन में पर्याप्त वृद्धि इस अनुमान से की गई कि इससे ग्रामीण गरीब व्यक्तियों की क्रयक्तियों एवं भोजन लेने की मात्रा में वृद्धि होगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी निवारण, जनसंख्या नियन्त्रण, अनाजों, दालों इत्यादि का बढ़ा हुआ उत्पादन एवं विशेष रूप से स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा आवास जैसी सामाजिक सेवाओं के प्रसार जैसे कार्यक्रमों में जनसंख्या के पोषाहारीय स्थिति पर प्रभाव डाले की अपेक्षा की गई थी। पोषाहार, शिक्षा एवं प्रसार, पौष्टिक खाद्यों पदार्थों के विकास एवं उनमें अभिवृद्धि, खाद्यों को सुरक्षित करने एवं स्वादिष्ट बनाने, पूरक भोजन एवं बीमारी निवारक कार्यक्रमों को करते हुए प्रत्यक्ष उपायों की समग्रता के माध्यम से पोषाहारीय स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न खण्ड क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया।

जनसंख्या की पोषाहारीय स्थिति में पूर्ण रूपेण बढ़ोत्तरी करना आंठवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था। चूँकि भोजन संबंधी मुख्य समस्या जो कि कुपोषण को सामने लाती है, वह है भोजन में प्रोटीन की तुलना में कैलोरी का अपर्याप्त होना, अतः जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में इस कैलोरी छिद्र को भरने की राणनीति रखी गई।

अन्य कल्याण कार्यक्रम

विकास की प्रक्रिया द्वारा समुदाय में शारीरिक एवं सामाजिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं एवं मूल्यों में परिवर्तनों के कारण परित्याग एवं पारिवारिक पृथ्क्करण की समस्याएँ सामने आती हैं। मादक द्रव्यों के दुरूपयोग जैसी नयी समस्याएँ असहनीय गति से बढ़ी हैं। जबकि भिक्षावृत्ति एवं महिलाओं तथा लड़कियों मे अनैतिक व्यापार जैसी समस्याएँ अस्तित्व में बनी हुई हैं।

प्रारम्भिक योजनाओं में कल्याण सेवाओं की आवश्यकता से ग्रस्त निराश्रितों, बाधितों एवं वृद्धों तथा अन्य श्रेणियों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों की संरचना एवं क्रियान्वयन की परिमितता के साथ शुरूआत की गई। इन पहलों में से 1955 में शिक्षा मंत्रलाय में बाधितों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन तथा 1950 में देहरादून में वयस्क नेत्रहीनों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रमुख पहल थी। कुछ राज्यों में बिना किन्हीं साधनों अथवा सहायता के वृद्धों के लिए वृद्धावस्था (भिक्षावृत्ति, प्रोबेशन, बाल अपराध एवं अनैतिक व्यापार निवारण) के क्षेत्र में विधान बनाए तथा विधायी संरचना के अन्दर तथा बाहर दोनों ही रूपों में संगठित सेवाएँ शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं को चलाया।

बाधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए शारिरिक रूप से बाधितों के लिए साधन–सहित योग्यता परीक्षण के आधार पर अनुदान देने का एक मुख्य कार्यक्रम चलाया गया। अन्य प्रयासों में बाधित व्यक्तियों के स्थान निर्धारण के लिए विशेष सेवायोजन कार्यलयों की

स्थापना तथा केन्द्र एवं सार्वजनिक उद्यमों के अंतर्गत समूह ग तथा घ पदों में बाधित व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण के लिए पहल थी। 1981 में बाधित व्यक्तियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण देश में इनके लिए सेवाओं का विस्तार किया गया। सेवायोजन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने बाधित व्यक्तियों के लिए अनेक रियायतें दी। विभिन्न श्रेणी के बाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में बाधित व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में बाधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं शिशु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य पूनर्वास केन्द्रों की स्थापना थे।

1982 में वृद्धावस्था पर विश्व सभा का आयोजन हुआ जिसने वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए सामाजिक वातावरण में बदलाव लाने तथा उनकी भलाई के लिए कार्यक्रमों को चलाने की पहल के अवसरों को उपलब्ध कराया। विधवाओं, पीड़ित महिलाओं के लिए तथा सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कल्याण एवं पुनर्वासन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया।

सांतवी पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं (1990-92) के अंतर्गत विभिन्न खण्ड क्षेत्रों में बधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों एवं सेवाओं का महत्वपूर्ण प्रसार देखा गया। छोटी चेचक की समाप्ति के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शिशुओं के वृहद् स्तर पर साम्मिलित करना विटामिन–ए की कमी के विरूद्ध रोग निवारक कार्यक्रम, आयोडीन की कमी एवं खून की कमी से निपटने हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्रारम्भिक शैशव काल में बाधिता की मत्रा में पर्याप्त कमी आयी है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज कल्याण

नवी पंचवर्षीय योजना में कार्यनीति थी :

1) स्वास्थ, महिला एवं बाल विकास, पोषाहार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम एवं सेवायोजन तथा कल्याण से संबंधित विभागों के सहयोग से बाधित व्यक्तियों, उनके परिवारों एवं समुदायों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक बहु खण्ड क्षेत्रीय समुदाय–आधारित पुनर्वास (सी.बी.आर.) की कार्यनीति को क्रियान्वित करना।

2) वृद्धावस्था पर एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया। इस नीति में चार वृहद् क्षेत्र रखे गए:योगदान देने वाली तथा योगदान रहित पेंशन संबंधी आवश्यकताएँ, वहन करने योग्य स्वास्थ सेवाएं क्योंकि इस जीवन चक्र के स्तर पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है, राष्ट्रीय आवास नीति के माध्यम से वहन करने योग्य

ध्यान देना आवश्यक होता है, राष्ट्रीय आवास नीति के माध्यम से वहन करने योग्य रहने की व्यवस्था, तथा अन्य कल्याणकारी उपाय। इस नीति में इस बात की भी पहचान की गई कि वृद्ध व्यक्ति केवल लाभार्थी ने होकर विकास संबंधी क्रियाओं में अपनी संबद्धता के कारण उत्पादक की भूमिका निभा सकते हैं।

3) नवीं पंचवर्षीय योजना में आवारा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि ये बच्चे एक सामाजिक समस्या का स्वरूप हैं। इन बच्चों की देख–भाल, संरक्षण एवं शिक्षा के लिए एक गैर संस्थागत आधारभूत सेवा दृष्टिकोण को जारी रखा गया।

4) असामाजिक व्यवहार के विरूद्ध समाज को संरक्षित करने वाले आवश्यक संयत्रों को ही केवल विकसित करने के लिए प्रयास नहीं किए गए बल्कि औपचारिक व्यवस्था की सीमा रेखा से परे हटकर ऐसी स्थितियों को रोकने के भी प्रयास किए गए जोकि आपराधिक भावना को पैदा करती हैं तथा व्यक्तियों को स्वीकृत सामाजिक मानकों से चिलित करती हैं

5) कार्य करने वाले बच्चों; वेश्यावृत्ति करने वालों के बच्चों मुख्य रूप से लड़कियों, आतंकवादी हिंसा से प्रभावित कैदियों के परिवारों, प्राकृतिक आपदाओं तथा ऐसे बच्चों के भी कल्याण एवं विकास पर ध्यान दिया गया जिनके माता–पिता कोढ़, टीबी इत्यादि जैसे संक्रामक एवं छुआछूत वाले रोगों से ग्रस्त रहे हैं।

6) किशोर न्याय अधिनियाम, 1986 तथा सामाजिक रूप से विचलित व्यक्तियों के सुधार हेतु अन्य इलाज संबंधी तथा पुनर्वास संबंधी उपायों के प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके बाल आपराधियों तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चों की विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया।

7) इन समूहों के कल्याण एवं विकास का उद्देश्य रखने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक एवं निगम संस्था को समबद्ध करने के लिए प्रयास किए गए।

नवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं एवं बच्चों का सशक्तीकरण

महिलाओं एवं बच्चों की भलाई के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जोकि "पचास के दशक के दौरान कल्याण" से "सत्तर के दशक के दौरान विकास" तथा "नब्बे के दशक के दौरान सशक्तीकरण" के रूप में सामने आए।

आंठवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य विषय जिसपर ध्यान देना था, मानव संसाधन विकास होने के कारण समस्त विकास संबंधी प्रयास महिलाओं एवं बच्चों को अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर पर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के अतिरिक्त उनको सशक्त बनाने की दिशा में किए गए। इस प्रकार से जबकि बच्चों के संदर्भ में मुख्य विषय लड़कियों एवं किशोर लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनकी उत्तरजीविका, संरक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करना था तथा महिलाओं के सन्दर्भ में उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वयं सक्षम बनाना था।

महिलाओं का सशक्तीकरण नवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य होने के कारण, वांछित नीतियों एवं कार्यक्रमों के साथ उनके लिए एक सामर्थ्ययुक्त वातावरण के निर्माण करने एवं इसे सुनिश्चित रखने के प्रयास किए गए। इस प्रकार से नवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाया गया।

महिलाएँ

महिलाओं के सशक्तीकरण में एक समेकित दृष्टिकोण को अंगीकृत किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों--सामाजिक, आर्थिक, विधिक एवं राजनीतिक में किए जा रहें विभिन्न प्रयासों में अनुरूपता को रेखांकित करना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्यों दोनों स्थानों के समस्त विकास सम्बन्धी खण्ड क्षेत्रों में से महिलाओं के लिए संसाधनों एवं लाभों में से अपेक्षित हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने हेतु अत्यन्त समीप से देखरेख करने के साथ 'महिलाओं के घटक' जैसे विशेष स्थिति वाले कोषों का आबंटन सुनिश्चित किया गया। इस प्रभाव में नवीं पंचवर्षीय योजना में अच्छी तरह से पारिभाषित 'लिंग विकास सूचकांक' के साथ 'महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीयनीति' को शीघ्रता से अपनाने की संस्तुति की गई ताकि समय- समय पर महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने में इनके क्रियान्वयन के प्रभाव की निगरानी की जा सके।

समस्त स्तरों पर आय, विनियोग एवं व्यय जैसे संसाधनों को बढ़ाने एवं विभाजन के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी उनके अर्थिक सशक्तीकरण का मुख्य आधार होती है। समस्त पारिवारिक सामुदायिक सम्पत्तियों के स्वामित्व के नियन्त्रण के लिए पहुँच के अतिरिक्त उनके अर्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग के लिए ऋण एवं बाज़ार सुविधाओं की दोनो 'अगड़ी' एवं 'पिछड़ी' कड़ियों को प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष को सशक्त बनाया गया।

महिलाओं के सहारे एवं जीविका पर वातावरण संबंधी कारकों के मजबूत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वातावरण के क्षरण पर नियंत्रण एवं वातावरण के संरक्षण महिलाओं की सहभागिता के सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं को सम्बद्ध किया गया तथा उनका परिप्रेक्ष्य आर्थिक व्यवस्था तथा प्रकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन की नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है।

एक जनसंख्या नीति का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि वह लड़कियों तथा महिलाओं का सकारात्मक प्रतिबिम्ब दिखाने में वह सहयोगी बन सके। विधान, नियामक संयंत्र एवं जनसंचार नीतियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिलाओं की पदावनति करने वाली, अपमानजनक, नकारात्मक एवं परम्परागत अपरिवर्तनीय प्रतिबिम्बों के वर्णन करने पर कठोर रूप से रोक लगा दी गई।

बच्चे

1992 में हमारे देश में बच्चों के अधिकार के सम्मेलन का अनुसमर्थन किया गया जिसने नवीं पंचवर्षीय योजना में बालविकास की आवश्यक नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में निर्देशक सिद्धान्त के रूप में कार्य किया।

एकीकृत बालविकास सेवाओं के सार्वभौमिकीकरण एवं अपने बच्चों के पूर्ण विकास के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवा क सुनिश्चित होने के उपरान्त आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण तथा सन्दर्भ सेवाओं के पूरक के साथ अपेक्षित पोषाहार के द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवओं को सुंगठित करने तथा इसकी विषयवस्तु में अभिवृद्धि करने पर बल दिया गया। इस सन्दर्भ में दो वर्ष से कम आयु वाले बच्चे पर प्राथमिकता के साथ ध्यान केन्द्रित कर पूर्ण विकास को अभिवृद्धि करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं को नवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से चलाया गया।

समुदाय आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायतीराज संस्थाओं एवं इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत सम्मिलित बड़ी संख्या में स्थापित किए गए स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों से इन्हें जोड़कर विकेन्द्रित करने की कार्यवाही की गई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज कल्याण

महिला सशक्तीकरण

नवीं पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना की कार्यनीति को अंगीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि महिलाओं से संबंधित विशेष कार्यक्रमों के लिए इनके खण्ड क्षेत्र में 30 प्रतिशत से कम धन न आबंटित किया जाए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान चलाई गई महिला घटक योजना की प्रगति के योजना आयोग द्वारा पुनरावलोकन से इस बात की पुष्टि हुई कि सकल बजटीय सहायता (जी वी एस) का 42.9 प्रतिशत के करीब जोकि 51,942.53 करोड़ रूपये होता है, 15 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में महिलाओं पर व्यय किया गया। पाँच मंत्रालयों/विभागों में तो योजना व्यय का 50-80 प्रतिशत तक महिलाओं पर खर्च किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में महिला घटक योजना को और अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य किया गया है।

महिलाओं से संबंधित विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भी के० सी० पन्त की अध्यक्षता में अगस्त, 2000 में में सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया गया। इस कार्यदल द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त सरकार में महिलाओं (लिंग) को मुख्य धारा में लाने के कार्य का पुनरावलोकन तथा अनुश्रवण करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में सरकारी एवं गैर सरकारी विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति के गठन की संस्तुति की गई। इस स्थायी समिति का गठन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यदल ने महिलाओं से संबंधित समस्त विधानों का पुनरावलोकन किया है तथा इनको प्रभावशाली बनाने के लिए 22 विधानों में संशोधन करने के लिए संबंधित मन्त्रालयों एवं विभाग तथा सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

महिलाओं के आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसका नाम स्वावलम्बन रखा गया, विभिन्न परम्परागत एवं गैर परम्परागत व्यवसायों में महिलाओं को सेवायोजन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। घरेलू हिंसा की घटना जो प्रायः को सम्बोधित करने के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती हैं घरेलू हिंसा से संरक्षण बिल, 2002 संसद में रखा गया है। इस बिल के अतंर्गत यह प्रावधान है कि संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को हिंसा से संरक्षण देगा तथा उन्हें शरणालयों, स्वास्थ्य देखरेख एवं वैधानिक सलाह की सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा।

बाल विकास

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना सुविधा वंचित वर्ग के 0-6 वर्ष आयु वाले बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के पूर्ण विकास का उद्देश्य रखने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अग्रणी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषाहार, टीकाकारण, स्वास्थ परीक्षण, सन्दर्भ सेवाएँ पूर्व– विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा को समन्वित रूप से उपलबध कराया जाता है।

1997 में चलायी गयी बालिका समृद्धि योजना में 2001-02 में 3.5 मिलियन बच्चों को लाभ पहुँचाया गया है।

शिशुगृह/दिवा संरक्षण केन्द्रों ने दिसम्बर 31,2002 तक 12,470 शिशुगृहों के माध्यम से 3.11 लाख कार्यरत/बीमारीग्रसत माताएँ लाभान्वित हुई हैं। राष्ट्रय शिशुगृह कोष के अंतर्गत विभाग ने दिसम्बर 31,2002 तक 4,885 अतिरिक्त शिशुगृहों की स्थापना की है।

समाज कल्याण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई तीन आयामी योजना को जारी रखा गया है। (1) बाधितों का सशक्तीकरण करना; (2) सामाजिक रूप से विचिलित व्यक्तियों का सुधार करना तथा (3) समाज कल्याण एवं विकास खण्ड क्षेत्रों से संबंधित वर्तमान सेवाओं के रूपान्तर पर विशेष ध्यान देते हुए अन्य सुविधावंचित व्यक्तियों की देखभाल करना।

शारीरिक/ मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों का कल्याण

जितना संभव हो अधिक से अधिक बाधित व्यक्तियों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं उत्पादक के रूप में योगदान देने के लिए, उनके सशक्तीकरण करने की दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्धता के अनुरूप, इस योजना में बाधिताओं से ग्रसत व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण एवं पूर्ण सहभागीदारी) अधिनियाम, 1995 की की शक्तियों एवं सहयोग के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है।

सामाजिक रूप से विचलित व्यक्तियों का सुधार

इस बात को स्वीकार करते हुए कि बाल अपराधी, शराबी, एवं मादक द्रव्य व्यसनी जैसे सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति संगठित अपराध में लिप्त आदतन अपराधी न होकर

परिस्थितियों एवं स्थिति सम्बन्धी अनिवार्यताओं के शिकार हैं, आज के ऐसे सामाजिक रूप से विचलित व्यक्तियों को कल का उत्तरायितवपूर्ण नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से इस योजना में इन सामाजिक रूप से विचलित व्यक्तियों के सुधार एवं पुनर्वास की वकालत की गई है।

इस योजना के अंतर्गत देश में शराबखोरी एवं मादक द्रव्य के दुरूपयोग की बढ़ती हुई समस्याओं से निपटने के लिए एक एकीकृत एवं विस्तृत समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर विचार किया गया है। इसका आवश्यकताग्रस्त क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों एवं उत्तर–पूर्व क्षेत्र तथा उच्च खतरे से युक्त समूहों जैसे आवारा बच्चों, देह व्यापार में लगे व्यावसायिक कार्यकर्ता, ट्रक चालक इत्यादि तक पहुँचने के लिए शराबखोरी तथा मादकद्रव्य दुरूपयोग की समस्याओं से निपटने के लिए शराबखोरी तथा मादक द्रव्य दुरूपयों के संरक्षण की योजना के अंतर्गत 90 परामर्श केन्द्रों तथा 369 निदान एवं पुनर्वासन केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता दी जा रही है।

सुविधावंचित वृद्ध व्यक्तियों के लिए देख-भाल की व्यवस्था

वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य, आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, जीवन का संरक्षण इत्यादि को उपलब्ध कराने, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई राष्ट्रीयनीति की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, चल चिकित्सिकीय देखभाल इकाइयों एवं चिकित्सकीय देखभाल केन्द्रों के वर्तमान समय में चल रहे कार्यक्रमों के प्रसार पर बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलाय ने 308 गैर सरकारी संगठनों को 222 वृद्धावस्था गृहों, 201 दिवा देखभाल केन्द्रों तथा 27 चल चिकित्सकीय देखरेख इकाइयों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए इस योजना के अंतर्गत एक विशेष योजना चलायी गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बाल श्रमिकों तथा संभावित बाल श्रमिकों (जैसे आवारा बच्चे, फुटपाथों पर रहने वाले बच्चे, प्रव्रजक, देह व्यापार से जुड़े कार्मिक, निराश्रित बच्चे इत्यादि) को आच्छदित करना है तथा अनौपचारिक शिक्षा, जोड़ने वाली (सेतु) शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में उनके प्रवेश को सुविधायुक्त बनाने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है।

नयी स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान को सामाजिक प्रतिरक्षा क्षेत्र में तथा अन्य सुविधावंचित समूहों के लिए क्रियाओं को विस्तृत करने योग्य

बनाने के लिए इसे व्यावसायिक, तकनीकी तथा वित्तीय रूपसे शक्तिशाली बनाया जा रहा है।

सारांश

इस अध्याय में समाज कल्याण के प्रश्न पर विचार करने का प्रयास किया गया है तथा भारत जैसे विकासशील देश के लिए कल्याण नीतियों को रखने के लिए यह अति महत्वपूर्ण कैसे है ? हमने यह भी देखा कि भारत बहुत पहले से ही अपनी प्रकृति से आधारभूत रूप से कल्याणोन्मुख है।

भारत के विभिन्न राज्यों में नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों के अंतर्गत वर्णित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विस्तृत उपाय किए गए हैं।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गतवर्षों में समाज कल्याण हेतु कार्यनीतियों में परिवर्तन किए गए परन्तु अब भी अधिक आवश्यकताओं की मात्रा को प्राप्त करना है। महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित दृष्टिकोण में बदलाव 'पचास के दशक के दौरान कल्याण' से 'सत्तर के दशक के दौरान विकास' से 'नब्बे के दशक के दौरान सशक्तीकरण' के रूप में हुआ।

कल्याणकारी उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़े हैं। उदाहरणार्थ 1981 वर्ष को बाधितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। इसे सम्पूर्ण देश में बाधित व्यक्तियों के लिए सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

दुबे, एस०, (1973), एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इण्डिया, सोमया पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।

गोरे एम० एस०, (2003), सोशल डेवलपमेण्ट, रावत पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली

प्लान्स एण्ड प्रास्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलफेयर इन इण्डिया, (1963), पब्लिकेशन्स डिविजन, न्यू दिल्ली।

सेन अमर्त्य, (2000), डेवलेपमेण्ट एज फ्रीडम, आ० यू० पी० न्यू दिल्ली।

सेन अमर्त्य, (2002), इण्डिया डेवलेपमेण्ट इज पार्टिसिपेशन, ओ० यू० पी० न्यू दिल्ली।